महत्वपूर्ण / शीर्षप्राथमिकता
संख्या–जी0आई0–23 / 38–4–10–05आईएवाई / 10

प्रेषक,

श्री सीताराम यादव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग 4 लखनऊ:दिनांक–21 अप्रैल, 2010

विषय:– इन्दिरा आवास की इकाई लागत में वृद्धि किए जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव,ग्रामीण विकास मंत्रालय,ग्रामीण विकास विभाग,भारत सरकार,नई दिल्ली के अर्द्धशा0प0संख्या–जी–20011 / 1 / 2010 –आरएच,दिनांक–05 अप्रैल, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसकी प्रति संलग्न है, के द्वारा दिनांक–01 अप्रैल, 2010 से इन्दिरा आवास की इकाई लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए रू0–35,000 / – के स्थान पर रू0–45,000 / – तथा पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों के लिए रू0–38,500 / – के स्थान पर रू0–48,500 / – निर्धारित की गई है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक–01–04–2010 से इन्दिरा आवास की निर्धारित इकाई लागत के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया उक्त निर्देशो का अनुपालन करते हुए योजना की गइड लाइन्स के अनुसार शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या–जी0आई0–23(1) / 38–4–10तद्दिनांक–

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1-- निजी सचिव,मा0 मंत्री,ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
2-- प्रमुख सचिव,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
3-- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
4-- आयुक्त,ग्राम्य विकास,उ0प्र0,लखनऊ।
5-- समस्त जिला विकास अधिकारी।
6-- वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–2 / 3,समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ / नियोजन अनुभाग–4।
7-- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8-- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
अनु सचिव।